

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/2019/

दिनांक:-

आदेश

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश आर.एस.आर. के नियम-110 एवं 112 के तहत उनकी स्वयं की प्रार्थना पर स्वीकृत किया जाता है:-

क्र०स०	कार्मिका का नाम	पदस्थापन स्थान	अवकाश अवधि
1	रिंकू सोनी	उप स्वास्थ्य केन्द्र सांपला, खण्ड अराई, अजमेर	1.दिनांक 10.04.2018 से 09.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 10.04.2020 से 07.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3.दिनांक 08.08.2020 से 09.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
2	वर्बीता शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पृथ्वीपुरा, खण्ड मालाखेडा, अलवर	1.दिनांक 02.11.2018 से 01.11.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 02.11.2020 से 01.03.2021 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3.दिनांक 02.03.2021 से 01.11.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
3	प्रिया दुल्लड	उप स्वास्थ्य केन्द्र ठिचौली, खण्ड बुहाना, झुन्झुनू	1.दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 13.04.2020 से 26.06.2020 तक 75 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3.दिनांक 27.06.2020 से 13.04.2021 तक 291 दिवस का असाधारण अवकाश।
4	मजू कुमारी	उप स्वास्थ्य केन्द्र शालु की ढाणी, खण्ड धौरीमन्ना, बाडमेर	निदेशालय के आदेश क्रमांक 1174 दिनांक 22.08.2017 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तता में 1.दिनांक 25.05.2019 से 24.11.2019 184 दिवस का असाधारण अवकाश।
5	हेमलता चौहान	उप स्वास्थ्य केन्द्र बोर चारणान, खण्ड धौरीमन्ना, बाडमेर	निदेशालय के आदेश क्रमांक 1429 दिनांक 13.10.2017 द्वारा स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तता में 1.दिनांक 25.05.2019 से 25.11.2019 तक 185 दिवस का असाधारण अवकाश।
6	शिमला मीणा	उप स्वास्थ्य केन्द्र नीमली कला, खण्ड सवाईमाधोपुर	1.दिनांक 08.09.2018 से 07.09.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 08.09.2020 से 05.01.2021 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3.दिनांक 06.01.2021 से 07.09.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।

81 -

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 09/05/2019

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/2019/818

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
2. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
3. प्रधानाचार्य, संबंधित नर्सिंग संस्थान।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर